प्रेस नोट

हिसार पुलिस

दिनांक 21.05.2025

16 मई को हिसार पुलिस ने ज्योति मल्होत्रा पुत्री हरिश मल्होत्रा वासी हिसार को 152 BNS और सरकारी गोपनीय अधिनियम के तहत अभियोग अंकित कर गिरफ्तार किया था। ज्योति मल्होत्रा कुछ PIOs से सम्पर्क में थी और कुछ सुचनाओं का आदान–प्रदान किया गया था। 18 मई के प्रेस कांफ्रेस के बाद यह पहला प्रेस नोट है।

पुलिस ने आरोपी से 3 मोबाइल फोन, एक लैपटॉप और कुछ अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण कब्जे में लिए। इसके साथ ही कुरुक्षेत्र निवासी हरकीरत को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया। हरकीरत वीजा सेवा उपलब्ध करवाता है। पुलिस ने हरकीरत से 2 मोबाइल फोन कब्जे में लिए। हरकीरत को फिलहाल गिरफतार नहीं किया गया है। ज्योति और हरकीरत से बरामद मोबाइल फोन, लैपटॉप और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को जांच के लिए फॉरेंसिक लैब भेजा गया है जहां विशलेषण जारी है। अभी तक विशलेषण का परिणाम हिसार पुलिस को सौंपा नहीं गया है। आरोपी ज्योति 5 दिन के पुलिस रिमांड पर है। हिसार पुलिस इस मामले की गहनता से जांच कर रही है। Protocol के अनुसार कुछ केंद्रीय जांच संस्थाओं ने भी आरोपी ज्योति से पूछताछ की है।

यह देखा जा रहा है कि अनुसंधान के दौरान प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पर बहुत सी तथ्यहीन खबरें भी चल रही हैं। तथ्यहीन खबर ना सिर्फ अनुसंधान को प्रभावित करती है बल्कि ऐसे मामलों में सीधे तौर पर राष्ट्रीय सुरक्षा को भी प्रभावित करती है। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पर फैली हुई कुछ अफवाहों का खण्डन करते हुये यह स्पष्ट किया जाता है कि

1. पूरे मामले में जांच हिसार पुलिस कर रही है और आरोपी हिसार पुलिस के ही हिरासत में है। कुछ केंद्रीय जांच संस्थाऐं आरोपी से समय समय पर पूछताछ कर रही है पर इनमें से किसी भी संस्था को आरोपी की हिरासत नहीं सौंपी गई।

2. आरोपी की किसी भी सैन्य, रक्षा या रणनितिक जानकारी तक पहुंच होने बारे कोई तथ्य अभी तक सामने नहीं आया है।
3. पुलिस द्वारा जब्त इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को जांच के लिए फॉरेंसिक लैब भेजा गया है जहां विशलेषण जारी है। अभी तक विशलेषण का परिणाम हिसार पुलिस को सौंपा नहीं गया है। आरोपी के वाट्सअप चैट के बारे में अभी कुछ भी टिप्पणी नहीं किया जा सकता है।
4. आरोपी की कथित डायरी के जो पन्ने सार्वजनिक रूप से दिखाए जा रहे है वो पुलिस के कब्जे में नहीं है।
5. आरोपी के 4 बैंक अकाउंट की गहनता से विशलेषण जारी है। पैसों के लेन–देन के बारे में अभी कोई टिप्पणी नहीं किया जा सकता है।
6. आरोपी निश्चित ही यह जानते हुये कि कुछ लोग PIOs हैं, उनसे सम्पर्क में थी। लेकिन अभी तक सीधे तौर पर ऐसा कोई तथ्य सामने नहीं आया जिससे यह कहा जा सके कि आरोपी का सम्पर्क किसी आतंकवादी संगठन से था। आरोपी के किसी भी आंतकवादी घटनाओं में संलिप्तता को लेकर कोई तथ्य अभी तक सामने नहीं आया है।
7. आरोपी के किसी PIO के साथ शादी, धर्म परिवर्तन इत्यादि के बारे में अभी तक कोई तथ्य सामने नहीं आया है।

यह अनुसंधान राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित है। सभी इलेट्रॉनिक, प्रिंट और सोशल मीडिया के लोगों से अनुरोध है कि रिर्पोटिंग में सयंम बरते और अधिकारिक प्रैस नोट में वर्णित तथ्यों को ही प्रसारित करें। सूत्रों और कल्पनाओं पर आधारित खबरों को अधिकारिक पुष्टि करने के बाद ही प्रसारित करें।

पुलिस अधीक्षक, हिसार